

(5)

# न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 198 / अ 2 / ~~1983~~ 2003 - 2004

मध्य प्रदेश शासन.....आवेदक

बनाम

1. राम राजा सिंह .....

तनय श्री जगन्नाथ सिंह .....

निवासी छतरपुर (म.प्र.) .....

- अनावेदक



आदेश

( पारित दिनांक 10/2/2004 )

राजस्व निरीक्षक एवं अधीक्षक भू व्यपवर्तन के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। ग्राम/नगर कसौता की भूमि सर्वे नं. 1789/3 मे.प्र. रकबा 0.0448 हैक्टर को अनावेदक द्वारा वगैर सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कर लिया गया है। पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया है तथा उक्त भूमि पर प्रीमियम रु. 2235=00 एवं वार्षिक भू-भाटक 1468=80 रूपया प्रस्तावित किया गया है।

2- अनावेदक को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया उसने न्यायालय में उपस्थित होकर कण्डिका एक में उल्लिखित भूमि का अवैध रूप से व्यपवर्तन किया जाना स्वीकार किया है।

3- अतः अनावेदक द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1789/3 मे.प्र. रकबा 0.0448 स्थित ग्राम कसौता का उपयोग कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने के कारण म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (2) के अनुसार रूपया 1469=00 वार्षिक भू-भाटक को वर्ष 03-04 से देय होगा। निर्धारण करते हुए संहिता की धारा 59 (5) के अन्तर्गत 2235=00 रूपया प्रीमियम आरोपित किया जाता है।

4- अनावेदक द्वारा प्रश्नगत भू-खण्ड के संबंध में संहिता की धारा 172 (1) के अन्तर्गत विहित प्रति पूर्तिया न करने से अनुज्ञा की पात्रता नहीं पाई जाती है।



सत्य प्रतिलिपि

*(Signature)*

नायब तहसीलदार  
तहसील छतरपुर (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी  
छतरपुर (म.प्र.)  
अनुविभागीय अधिकारी  
छतरपुर  
जिला छतरपुर (म.प्र.)



# न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 263 /अ-2/ 2003-2004

मध्य प्रदेश शासन आवेदक

बनाम

1. श्री रामराज सिंह

तनय श्री जगन्नाथ सिंह

निवासी छतरपुर

- अनावेदक



आदेश

( पारित दिनांक 24/3/ )

राजस्व निरीक्षक एवं अधीक्षक भू व्यपवर्तन के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। ग्राम/नगर वर्गोता की भूमि सर्वे नं. 1789/3 मेसे रकवा 0.044 हैक्टर को अनावेदक द्वारा वगैर सक्षम प्राधिकारी के आदेश के कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कर लिया गया है। पुर्ननिर्धारण किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया है तथा उक्त भूमि पर प्रीमियम रु. 2235=०० एवं वार्षिक भू-भाटक 1468=80 रूपया प्रस्तावित किया गया है।

2- अनावेदक को नियमानुसार नोटिस जारी किया गया उसने न्यायालय में उपस्थित होकर कण्डिका एक में उल्लिखित भूमि का अवैध रूप से व्यपवर्तन किया जाना स्वीकार किया है।

3- अतः अनावेदक द्वारा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1789/3 मेसे रकवा 0.044 है. स्थित ग्राम वर्गोता का उपयोग कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने के कारण म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 (2) के अनुसार रूपया 1469=०० वार्षिक भू-भाटक को वर्ष 2003-2004 से देय होगा। निर्धारण करते हुए संहिता की धारा 59 (5) के अन्तर्गत 2235=०० रूपया प्रीमियम आरोपित किया जाता है।

4- अनावेदक द्वारा प्रश्नगत भू-खण्ड के संबंध में संहिता की धारा 172 (1) के अन्तर्गत विहित प्रति पूर्तिया न करने से अनुज्ञा की पात्रता नहीं पाई जाती है।



कृत्य प्रतिसिद्धि

नायब तहसीलदार  
तहसील छतरपुर (म.प्र.)

अनुविभागीय अधिकारी  
छतरपुर (म.प्र.)  
जिला छतरपुर (म.प्र.)

